[2008] 14 एस. सी. आर. 699

स्टेट ऑफ राजस्थान

बनाम

नारायण

(आपराधिक अपील संख्या 1629/2008)

17 अक्टूबर, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और डॉ० मुकुंदकम शर्मा, जे. जे.]

दंड संहिता 1860-धारा 302 316 और 309 दोषमुक्ति के विरुद्ध - अपील - अपीलीय न्यायालय की शक्ति और कर्तव्य - अभियोग की अभियुक्त ने अपनी पत्नी की हत्या किया है - अभियुक्त खून से लथपथ मिला और उसकी सांसें तेज चल रही थी जबकि उसकी पत्नी का शव पास में पड़ा था - अभियुक्त और उसकी पत्नी के गर्दन पर कटा हुआ घाव मिला - विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि - लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त - विरुद्ध अपील निर्धारितः दोषमुक्ति से अभियुक्त के निर्दोष होने की उपधारणा और भी मजबूत हो जाती है - अपीलीय न्यायालय दोषमुक्ति के विरूद्ध अपील में विचार करते समय केवल तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब ऐसा करने के लिए बाध्यकारी और सारवान कारण हो - अपराध में प्रयुक्त हथियार मृतक के कपड़ों के अन्दर पाया गया था और इसलिए बचाव पक्ष का संस्करण कि संभवतः अभियुक्त की गर्दन पर गम्भीर चोट पहुँचाने के बाद मृतका ने अपनी जान ले ली असंभव नहीं है - जिस कारण उच्च न्यायालय दोषमुक्ति का निर्देश दिया उसे अनुचित रूप में वर्णित नहीं माना जा सकता। तदनुसार दोषमुक्ति पुष्टि की गई।

आपराधिक अधिकारिताः

न्याय-प्रशासन - अभिनिर्धारित: आपराधिक मामलों में, यदि प्रस्तुत साक्ष्य से दो दृष्टिकोण संभव है, एक अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करता है और दूसरा उसके निर्दोष होने की, अभियुक्त के पक्ष में दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

अभियोजन के अनुसार, अभियुक्त-प्रत्यर्थी ने अपनी पत्नी की हत्या करने का अपराध किया क्योंकि उसे संदेह हुआ कि उसके गर्भ में किसी अन्य व्यक्ति का बच्चा था।

प्रत्यर्थी खून से लथपथ, हांफते हुए पाया गया जबकि उसकी पत्नी उसके पास मृतक पड़ी थी। प्रत्यर्थी और उसकी पत्नी दोनों के गले पर कटा हुआ पाया गया।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी को धारा **302, 316** व **309** भा०दं०सं० के तहत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी। जबकि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी और उसकी पत्नी के बीच आत्महत्या समझौते की संभावना को स्वीकार किया या प्रत्यर्थी की पत्नी ने प्रत्यर्थी के गले पर हत्या के इरादे से चोट करने के बाद आत्महत्या कर ली और गर्दन पर प्रहार के बाद वह बच गया और यह अभिनिर्धारण के बाद कि अभियोजन कथानक साबित नहीं हुआ, प्रत्यर्थी को दोषमुक्त कर दिया गया। इसलिए वर्तमान अपील है।

अपील खारिज किया गया, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित: **1.1** अपीलीय न्यायालय को उस साक्ष्य की समीक्षा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिन पर दोषमुक्ति का आदेश आधारित है। सामान्यतः दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अभियुक्त के निर्दोष होने की धारणा को दोषमुक्ति करके और दृढ़ किया जाता है। आपराधिक मामलों में न्याय प्रशासन के जाल के माध्यम से चलने वाला स्वर्णिम कड़ी यह है कि यदि मामले में पेश किए गए साक्ष्य पर दो दृष्टिकोण संभव है, एक अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करता है और दूसरा उसकी निर्दोषिता, वह दृष्टिकोण जो अभियुक्त के लिए अनुकूल है, अपनाया जाना चाहिए। न्यायालय का सर्वोच्च विचार यह सुनिश्चित करना है कि न्याय की विफलता को रोका जाए। न्याय की विफलता जो दोषी के दोषमुक्ति होने से उत्पन्न हो सकती है, किसी निर्दोष को दोषसिद्ध ठहराये जाने से कम नहीं है। ऐसे मामले में जहां ग्राह्य साक्ष्य को नजरन्दाज कर दिया जाता है, अपीलीय न्यायालय को उन साक्ष्य की पुनः सराहना करने का कर्तव्य बनता है जहां अभियुक्त की दोषमुक्ति यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया है कि अभियुक्त वास्तव में कोई अपराध किया है या नहीं। **[पैरा 6] [704-बी-ई]**

1.2 अपीलीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के निर्णय के विरूद्ध अपील में विचार करते हुए अपनाए जाने

वाले सिद्धांत में केवल तभी हस्तक्षेप करता है जब ऐसा करने के लिए बाध्यकारी और सारवान कारण हो। यदि अपेक्षित निर्णय स्पष्ट रूप से अनुचित है और प्रक्रिया में प्रासंगिक और ठोस सामग्री को अनुचित तरीके से हटा दिया गया है, तो यह हस्तक्षेप के लिए बाध्यकारी कारण है। [पैरा 6] [704-एफ-जी]

भगवान सिंह व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य **(2002) 2 सुप्रीम 567;** शिवाजी साहबराव बोबडे व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य **एआईआर (1973) एससी 2622;** रमेश बाबूलाल दोशी बनाम गुजरात राज्य **(1996) 4 सर्वोच्च 167;** जतवंत सिंह बनाम हरियाणा राज्य **(2000) 3 सर्वोच्च 320;** राजकिशोर झा बनाम बिहार राज्य व अन्य **(2003) 7 सर्वोच्च 152;** पंजाब राज्य बनाम करनैल सिंह (2003) 5 सुप्रीम 508**;** पंजाब राज्य बनाम पोहला सिंह व अन्य **(2003) 7 सर्वोच्च 17 और** श्री एन रथीस बनाम केरल राज्य **(2006) 10 एससीसी 617- विश्वसनीय।**

2. वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय उद्धृत किया कि अभियुक्त-प्रत्यर्थी और उसकी पत्नी में कोई विवाद नहीं था। यद्यपि अभियुक्त के भाई ने सूचना दी थी, लेकिन अन्वेषण के दौरान कथन करने से इन्कार कर दिया; ऐसी ही स्थिति पीडब्लू 2 अर्थात् सूचनाकर्ता का पिता और पीडब्लू 3 अपीलकर्ता पड़ोसी की थी। विचारण न्यायालय ने जिस एकमात्र साक्ष्य पर विश्वास किया, वह मृतक शरीर के पास घायल, अभियुक्त की उपस्थिति थी। पीडब्लू 10 विवेचक द्वारा कथन किया गया कि मृत व्यक्ति के कपड़े के अन्दर अस्त्र पाया गया। इसलिए बचाव पक्ष का यह कथन कि मृतक ने संभवत अभियुक्त की गर्दन पर गम्भीर चोटें पहुँचाने के बाद अपनी जान ले ली, को एक असंभव स्तम्भ के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। जिन कारणों से उच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति का निर्देश दिया, उन्हें अनुचित रूप में वर्णित नहीं माना जा सकता। [पैरा 7] [705-बी-डी]

केस लॉ रेफरेन्स

(2002) 2 सर्वोच्य 567	**विश्वसनीय**	**पैरा 6**
एआईआर (1973) एससी 2622	**विश्वसनीय**	**पैरा 6**

(1996) 4 सर्वोच्च 167	**विश्वसनीय**	**पैरा 6**
(2000) 3 सर्वोच्च 320	**विश्वसनीय**	**पैरा 6**
(2003) 7 सर्वोच्च 152	**विश्वसनीय**	**पैरा 6**
(2003) 5 सर्वोच्च 508	**विश्वसनीय**	**पैरा 6**
(2003) 7 सर्वोच्च 17	**विश्वसनीय**	**पैरा 6**
(2006) 10 एस. सी. सी. 617	**विश्वसनीय**	**पैरा 6**

आपराधिक अपील अधिकारिताः आपराधिक अपील संख्या 1629/2008

अपील सं0 146 डी. बी. सीआरएल 2000 राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 23.11.2005 से

अपीलार्थी के लिए मनीष कुमार अंसार अहमद चौधरी, सत्य प्रकाश और प्रोमिला मट्टा।

द्वारा न्यायालय ने निर्णय सुनाया

डॉ. अरिजीत पसायत, जे 1. अनुमोदन स्वीकृत।

2. इस अपील में चुनौती यह है कि, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर खण्डपीठ ने प्रत्यर्थी को दोषमुक्त करने का निर्देश दिया है।

3. विद्वान सत्र न्यायाधीश, सीकर, ने सेशन वाद सं0 97 / 1999 में प्रत्यर्थी को अन्तर्गत धारा 302, 316 309 भा०दं०सं० 1860 (संक्षेप में आई०पी०सी०) के दोषी माना था और उन्हें आजीवन कारावास, क्रमशः सात वर्ष और तीन वर्ष की सजा सुनायी थी और व्यतिक्रम की दशा के साथ जुर्माना भी लगाया था। अपील में, दोषमुक्त का निर्देश दिया गया था।

4. अभियोजन कथानक संक्षेप में निम्न हैः

परिवादी, किशोर पुत्र माल चंद रायगर ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-1) पुलिस स्टेशन लोसल 22.3.1999 दर्ज कराया कि उसका भाई नारायण, रामदेव राम के घर में, जो उसके पुराने घर के पास है, रहता था।

सुबह उसका लड़का सुशील आकर बुलाया और कहा कि माता-पिता घर के अंदर हैं और दरवाजा अन्दर से बन्द है और बुलाने पर उनमें से कोई उठ नहीं रहे हैं। तब उसने देखा कि दोनों बेड पर सोये हुए हैं। उसने जोर से चिल्लाया और लोग इकट्ठा हो गए। पूर्व-अध्यक्ष भूरा राम भी वहाँ आए। तब सभी लोग कमरे में प्रवेश किये। उन्होंने यहाँ कमरे में, पाया कि उसकी भाभी और उसका भाई खून से लथपथ पड़े थे। उसकी भाभी का गला भी कटा था। वह मर चुकी थी लेकिन उसका भाई सांस ले रहा था और गला कटा था उस सूचना पर अपराध संख्या 42/1999 धारा 302/307 भा०दं०सं० के तहत पंजीकृत किया गया। जब उसके देर से पहुँचने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि आस पड़ोस के लोगों और रिश्तेदारों को बुलाने में देर हो गयी। उसने यह भी बताया कि उसकी भाभी भंवरी देवी 5 से 6 महीने की गर्भवती थी और उसका भाई नारायण तीन महीने पहले विदेश से आया है और इसीलिए उसका भाई भाभी से उस व्यक्ति के बारे में पूछता था, जिसका बच्चा पेट में है और इसी बात को लेकर अक्सर झगड़े होते रहते थे।

दर्ज रिपोर्ट के आधार पर अन्वेषण किया गया और आरोपपत्र दाखिल किया गया था। अभियुक्त ने विचारण के समक्ष स्वयं को निर्दोष बताया। विचारण न्यायालय ने देखा कि कोई चक्षुदर्शी साक्षी उपलब्ध नहीं था और मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था लेकिन परिस्थितियां अभियोजन के लिए पर्याप्त थी। तदनुसार, जैसा पहले उल्लेख किया गया था दोषसिद्धि की गयी और सजा सुनायी गयी। अपील में उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया निर्धारित किया कि साक्षीगण ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया। पीडब्लू 11 भारसाधक अधिकारी ने स्पष्ट रूप में कहा कि अभियुक्त 5.4.1999 को हास्पिटल में भर्ती किया गया था और साक्षी पीडब्लू 11 द्वारा उसका स्वास्थ्य परीक्षण अन्वेषण के पूर्व ही किया गया था। वह खून से लथपथ था और उसका गला कटा था और वह ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। माननीय उच्च न्यायालय इस संभावना को स्वीकार किया कि पति और पत्नी के बीच समझौता हुआ और फिर पति की गर्दन पर प्रहार कर आत्महत्या कर ली।

और गर्दन पर प्रहार के बाद वह जिन्दा है। ऐसी स्थिति में यह माना गया कि अभियोजन कथानक सुस्थापित नहीं किया गया था।

5. राज्य अपीलार्थी की तरफ से विद्वान काउंसिल ने प्रस्तुत किया कि न्यायालय ने आत्महत्या समझौते का अनुमान लगाने के लिए अनुमानों पर काम किया, उस संबंध में कोई सबूत नहीं था और इसके विपरीत उच्च न्यायालय को यह स्वीकार करना चाहिए था कि पति-अभियुक्त ने अपनी पत्नी की हत्या किया था।

6. अपीलीय न्यायालय पर उन साक्ष्यों की समीक्षा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है जिन पर दोषमुक्ति करने के आदेश आधारित है। सामान्यतः दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि दोषमुक्त होने से अभियुक्त के निर्दोष होने की धारणा और भी मजबूत हो जाती है। आपराधिक मामलों में न्याय प्रशासन का स्वर्णिम नियम है कि यदि मामले में पेश किये गये साक्ष्य से दो विचारधारा सम्भव है एक अभियुक्त के दोष और दूसरा निर्दोष की ओर इशारा करता है, तो वह दृष्टिकोण जो अभियुक्त के पक्ष में अपनाया जाना चाहिए। न्यायालय का सर्वोपरि विचार यह सुनिश्चित करता है कि न्याय की विफलता को रोका जाए। न्याय की विफलता जो दोषी के दोषमुक्ति से उत्पन्न हो सकती है, किसी निर्दोष को दोषसिद्धि ठहराये जाने से कम नहीं है। ऐसे मामले में जहाँ ग्राहय साक्ष्य को नजरन्दाज कर दिया जाता है, अपीलीय न्यायालय पर उन साक्ष्य की पुनः सराहना करने का कर्तव्य है जहाँ अभियुक्त की दोषमुक्ति यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है कि अभियुक्त ने वास्तव में कोई अपराध किया है या नहीं। (भगवान सिंह व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2002 (2) सुप्रीम 567)। दोषमुक्ति के निर्णय के विरूद्ध अपील पर विचार करते समय अपीलीय न्यायालय द्वारा अपनाये जाने वाले सिद्धान्त में केवल तभी हस्तक्षेप करना है, जब ऐसा करने के लिए बाध्यकारी और सारवान कारण हो। यदि अपेक्षित निर्णय स्पष्ट रूप से अनुचित और सुसंगत और इस प्रक्रिया में विश्वासप्रद करने वाली सामग्री को अनुचित तरीके से हटा दिया गया है, यह हस्तक्षेप करने के लिए बाध्यकारी कारण है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *शिवाजी साहबराव बोबडे व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य* (एआईआर 1973 एससी 2622), *रमेश बाबूलाल दोशी बनाम गुजरात राज्य* (1996) (4) सर्वोच्च 167); *जसवंत सिंह बनाम हरियाणा राज्य* (2000 (3) सर्वोच्च 320; *राज किशोर झा बनाम बिहार राज्य* व अन्य (2003 (7)

सर्वोच्च 152), *पंजाब राज्य बनाम करनैल सिंह* (2003 (5) सुप्रीम 508; *पंजाब राज्य बनाम पोहला सिंह व अन्य* (2003 (7) सर्वोच्च 17 और *वी. एन. रथीस बनाम केरल राज्य* (2006 (10) एससीसी 617) के मामले में उक्त विचार धारा पर प्रकाश डाला है ।

7. उच्च न्यायालय ने उद्धृत किया था कि पति और उसकी पत्नी में कोई झगड़ा नहीं हुआ था। यद्यपि किशोर, अभियुक्त का भाई सूचना दिया था जैसे, ऊपर बताया गया, परन्तु वह अन्वेषण के दौरान कथन करने से इन्कार कर दिया। ऐसी ही स्थिति पीडब्लू 2 सूचना कर्ता का पिता और पीडब्लू 3 वादी के पड़ोसी की थी विचारण न्यायालय ने जिस एकमात्र साक्ष्य पर विश्वास किया वह मृतक शरीर के पास घायल अभियुक्त की उपस्थिति थी। पीडब्लू 10 विवेचक द्वारा कथन किया गया कि मृतक व्यक्ति के कपड़े के अन्दर अस्त्र पाया गया। इसलिए बचाव पक्ष का यह कथन कि मृतक ने संभवतः अभियुक्त के गर्दन पर गम्भीर चोटें पहुँचाने के बाद अपनी जान ले ली, को एक स्तम्भ के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता। अतः अपील योग्य नहीं है, जिसे तदनुसार खारिज किया जाता है।

अपील खारिज ।